कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ /जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांकः 04.01.2021 के तहत श्री सत्यपाल सिंह, व्याख्याता जीव विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, खेतड़ी नगर, झुंझुंनू से राउमावि, इन्द्रगढ़, बूंदी किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व श्री सत्यपाल सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 865/2021 सत्यपाल सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 865/2021 में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 08.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में श्री सत्यपाल सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरित स्थान 600 किलोमीटर दूर होने, स्वयं की तलाकशुदा पुत्री एवं वृद्ध तथा बीमार पिता की जिम्मेदारी स्वयं पर होने तथा बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि, खेतड़ी नगर, झुंझुंनू में यथावत रखने अथवा राउमावि, भिर्र, झुंझुंनू या राउमावि, नालपुर, झुंझुंनू में व्याख्याता जीव विज्ञान के पद पर लगाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी श्री सत्यपाल सिंह से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिककरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 08.02.2021 की पालना में श्री सत्यपाल सिंह व्याख्याता जीव विज्ञान का समायोजन GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIRR (215940), BUHANA, JHUNJHUNU में जीव विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/सत्यपाल सिंह/865/को.के/21 दिनांकः– 25/2/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान